न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

मुकदमा नम्बरः 85/2022

वादी –

1. छितरमल पुत्र श्री मुरलीधर जाति अहिर(यादव) उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी समदड़ी की ढाणी ग्राम सांवत का बास तहसील रेनवाल जिला जयपुर।
2. संतोष कुमार पुत्र छितरमल जाति अहिर(यादव) उम्र करीबन 35 वर्ष निवासी समदड़ी की ढाणी ग्राम सांवत का बास तहसील रेनवाल जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. केसाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
2. गणपतलाल पुत्र मोहरीलाल जाति गोयल निवासी साम्भर जिला जयपुर।
3. राजू शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी राजास।
4. विष्णकुमार पुत्र गणपतलाल गोयल जाति गोयल निवासी साम्भर।
5. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी नावां तहसील नावां।
6. कृष्णगोपाल पुत्र दामोदरलाल जाति जोशी निवासी साम्भर जिला जयपुर।
7. किसनीदेवी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
8. गणेश उर्फ गणेशनारायण पुत्र हरदेव राम जाति जाट निवासी राजास
9. गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी राजास।
10. चन्द्राराम पुत्र लाला राम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
11. जयकुमार पुत्र गम्भीरमल जाति जैन निवासी भादवा तहसील फुलेरा।
12. धन्नीदेवी पुत्र श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
13. नारायण पुत्र हरदेवराम जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
14. परमानाराम पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
15. भंवरलाल पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
16. भंवरीदेवी पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
17. भीवाराम पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
18. मानाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी गवारिया तहसील नावां।
19. रतनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    19/1 अशोक कुमार पुत्र तिलोका राम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    19/2 धर्मेन्द्र पुत्र तिलोकाराम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    19/3 ग्यारसीदेवी पत्नि तिलोकाराम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    19/4 तुलछीदेवी पत्नि रतनाराम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
20. राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति रावता निवासी मण्डाभीमसिंह।
21. रामकरण पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
22. लालाराम पुत्र हणमान जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
23. श्यामकुमार पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
24. शरदकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मंत्री निवासी साम्भर तहसील फुलेरा।
25. सुखाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    25/1 भंवरीदेवी पत्नि सुखाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    25/2 मालूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

25/3 संतोष पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
25/4 मन्जू पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
25/5 सरोज पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
25/6 सुगना पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
26. सुरेश कुमार पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
27. सोनीदेवी पत्नि पोकरराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
28. हरदेवाराम पुत्र भैरूवक्ष जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

<u>दावा वावत इस्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :— श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक :— 16.08.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम राजास तहसील नावां की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्वर 163 रकवा 1.07 हैक्टर मे से पश्चिमी तरफ 0.50 हैक्टर व खसरा नम्वर 164, 551/165, 196/197 कुल रकवा 5.37 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को मुकदमा नम्वर 30/2016 दिनांक 11.02.2017 को घोषित किया गया जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने नामांतकरण दर्ज कर वादीगण के नाम सेपरेट खातेदारी दर्ज कर दी गई। मुकदमा में निर्णय एवं डिक्री पर्चा के अनुसार नामांतकरण भरकर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्वर 551/165 रकवा 1.78 हैक्टर तथा खसरा नम्वर 552/163 रकवा 0.50 हैक्टर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गई परन्तु राजस्व नक्शा में खसरा नम्वर 552/163 रकवा 0.50 हैक्टर पश्चिमी तरफ खसरा नम्वर 163 के दर्ज होना चाहिए था उसको पूर्वी तरफ दर्ज कर दिया तथा मूल खसरा नम्वर 163 रकवा 0.57 हैक्टर पूर्वी दिशा में दर्ज करना था उसको पश्चिमी दिशा में दर्ज कर दिया। इसी प्रकार से खसरा नम्बर 553/551 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्वर 551/165 में पूर्वी दिशा में दर्ज होना था जिसको पश्चिमी दिशा में नक्शे में तरमीम कर दिया। उपरोक्त तरमीम केवल मात्र लिपिकीय भूल से हुई है। वादीगण की भूमि जो एक कोमपेक्ट ब्लॉक में स्थित है परन्तु लिपिकीय भूल से राजस्व नक्शा में खसरा नम्वर गलत जगह तरमीम होने से वादीगण की भूमि अलग—अलग जगह वंट गई जिससे वादीगण को अनेक तरह से कठिनाईयां पैदा हो रही है। वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 खातेदार होने से व प्रतिवादी संख्या 29 भूमिधारी होने से आवश्यक एवं फौरमल पक्षकार प्रतिवादी वनाये गये है। राजस्व ग्राम राजास तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्वर 553/551 रकवा 0.21 हैक्टर को राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 551/165 रकवा 1.78 हैक्टर के पश्चिम दिशा से विलोपित कर पूर्वी तरफ अंकित करने तथा खसरा नम्वर 552/163 रकवा 0.50 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्वर 163 के पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

तरफ के बजाय पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 163 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्वी दिशा में नक्शे में तरमीम दुरूस्ती का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान कराने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यूटी दी। प्रतिवादी संख्या 7 ता 10, 21, 22, 23, 29, 28 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 19 रतनाराम व प्रतिवादी संख्या 25 की फौत होने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावें जिसपर अधिवक्ता प्रतिवादी ने नो ऑब्जेक्शन किया इस प्रकार प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 19 रतनाराम व प्रतिवादी संख्या 25 की फौत होने पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 19/1 ता 19/4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यूटी दी। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 11 ता 18, 20, 24 ता 27 की तामील अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 8 फरवरी 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 19/1 ता 19/4 स्वयं एवं उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाज दिलाई जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श पी1 नकल खाता संख्या 9 जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श पी2 नकल खाता संख्या 43 जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श पी3 नकल चालू जमाबंदी संवत 2075, प्रदर्श पी4 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नकल नामांतकरण रजिस्टर प्रदर्श पी5 व प्रदर्श पी6 एवं प्रदर्श पी 7 न्यायालय हाजा के प्रकरण अनुवान छितरमल वगैरह बनाम अरूणकुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 30/2016 निर्णय दिनांक 11.02.2017 व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति पेश की। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी छितरमल, पी.डब्ल्यू. 2 वादी संतोष कुमार व पी.डब्ल्यू.3 गवाह सीताराम पुत्र नन्दाराम जाति यादव निवासी ग्राम राजास तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपने वाद पत्र अनुसार राजस्व ग्राम राजास तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553/551 रकबा 0.21 हैक्टर को राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.78 हैक्टर के पश्चिम दिशा से विलोपित कर पूर्वी तरफ अंकित करने तथा खसरा नम्बर 552/163 रकबा 0.50 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्बर 163 के पूर्वी तरफ के बजाय पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 163 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्वी दिशा में नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करवाने चाहते है। वाद पत्र में प्रस्तुत न्यायालय हाजा के प्रकरण अनुवान छितरमल वगैरह बनाम अरूणकुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 30/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 व डिक्री पर्चा दिनांक 28.

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

02.2017 के अनुसार ''राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 163 रकबा 1.07 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ 0.50 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 164, 551/165, 196, 197 कुल रकबा 5.37 हैक्टयर में केवल खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.99 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ 1.78 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण छितरमल व संतोष कुमार को घोषित किया गया।'' तत्पश्चात उक्त निर्णय की अनुपालना में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड अंकन किया गया एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम किया गया। परन्तु उक्त निर्णय की पालना करते समय नक्शा ट्रेस में वादीगण छितरमल व संतोष कुमार की भूमि खसरा नम्बर 163 व खसरा नम्बर 551/165 में से पश्चिमी तरफ की बजाय पूर्वी तरफ तरमीम कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण अनुवान छितरमल वगैरह बनाम अरूणकुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 30/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 व डिक्री पर्चा दिनांक 28.02.2017 के अनुसार राजस्व ग्राम राजास तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553/551 रकबा 0.21 हैक्टर को राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.78 हैक्टर के पश्चिम दिशा से विलोपित कर पूर्वी तरफ अंकित करने तथा खसरा नम्बर 552/163 रकबा 0.50 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्बर 163 के पूर्वी तरफ के बजाय पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 163 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्वी दिशा में नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजास तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553/551 रकबा 0.21 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.78 हैक्टर के पश्चिम दिशा से विलोपित कर पूर्वी तरफ अंकित करने तथा खसरा नम्बर 552/163 रकबा 0.50 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्बर 163 के पूर्वी तरफ के बजाय पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 163 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्वी दिशा में नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश जारी होकर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.
अज अदालत :– श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी –

1. छितरमल पुत्र श्री मुरलीधर जाति अहिर(यादव) उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी समदड़ी की ढाणी ग्राम सांवत का बास तहसील रेनवाल जिला जयपुर।
2. संतोष कुमार पुत्र छितरमल जाति अहिर(यादव) उम्र करीबन 35 वर्ष निवासी समदड़ी की ढाणी ग्राम सांवत का बास तहसील रेनवाल जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. केसाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
2. गणपतलाल पुत्र मोहरीलाल जाति गोयल निवासी साम्भर जिला जयपुर।
3. राजू शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी राजास।
4. विष्णकुमार पुत्र गणपतलाल गोयल जाति गोयल निवासी साम्भर।
5. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी नावां तहसील नावां।
6. कृष्णगोपाल पुत्र दामोदरलाल जाति जोशी निवासी साम्भर जिला जयपुर।
7. किसनीदेवी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
8. गणेश उर्फ गणेशनारायण पुत्र हरदेव राम जाति जाट निवासी राजास
9. गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी राजास।
10. चन्द्राराम पुत्र लाला राम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
11. जयकुमार पुत्र गम्भीरमल जाति जैन निवासी भादवा तहसील फुलेरा।
12. धन्नीदेवी पुत्र श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
13. नारायण पुत्र हरदेवराम जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
14. परमानाराम पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
15. भंवरलाल पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
16. भंवरीदेवी पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
17. भीवाराम पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
18. मानाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी गवारिया तहसील नावां।
19. रतनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 19/1 अशोक कुमार पुत्र तिलोका राम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 19/2 धर्मेन्द्र पुत्र तिलोकाराम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 19/3 ग्यारसीदेवी पत्नि तिलोकाराम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 19/4 तुलछीदेवी पत्नि रतनाराम जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
20. राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति रावता निवासी मण्डाभीमसिंह।
21. रामकरण पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
22. लालाराम पुत्र हणमान जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
23. श्यामकुमार पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
24. शरदकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मंत्री निवासी साम्भर तहसील फुलेरा।
25. सुखाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 25/1 भंवरीदेवी पत्नि सुखाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 25/2 मालूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 25/3 संतोष पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।
    - 25/4 मन्जू पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

25/5 सरोज पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
25/6 सुगना पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
26. सुरेश कुमार पुत्र जमनालाल जाति जाट निवासी राजास तहसील नावां।
27. सोनीदेवी पत्नि पोकरराम जाति जाट निवासी जावदीनगर तहसील नावां।
28. हरदेवाराम पुत्र भैरूबक्ष जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

मुकदमां नम्बर :– 85/2022 निर्णय दिनांक :– 16.08.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजास तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 553/551 रकवा 0.21 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्बर 551/165 रकबा 1.78 हैक्टर के पश्चिम दिशा से विलोपित कर पूर्वी तरफ अंकित करने तथा खसरा नम्बर 552/163 रकबा 0.50 हैक्टर को नक्शे में खसरा नम्बर 163 के पूर्वी तरफ के बजाय पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 163 को पश्चिम दिशा के वजाय पूर्वी दिशा में नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश जारी हो। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.08.2023 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर))

दस्तखत: [signature]
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL